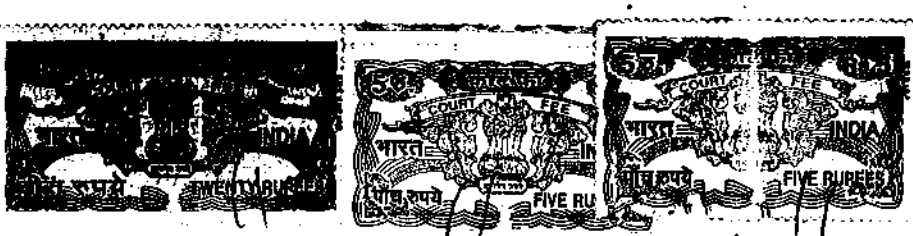

(169)

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी-0430/2019/शाजापुर/भू.रा.सं.

प्र.क.   /19

चंद्रशेखर उर्फ शेलेन्द्र कुमार सोनी पिता स्व.श्री मांगीलालजी सोनी निवासी शाजापुर तहसील व जिला शाजापुर

... आवेदक

बनाम

म.प्र.शासन द्वारा तहसीलदार महोदय, शाजापुर

.... रेस्पाडेंण्ट

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

प्रार्थी अभिभावक श्री एस.आर. यादव
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 05/3/19
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

674
05/3/19

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 234/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29/10/2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणो के आधार पर निगरानी धारा 05 अवधि विधान के आवेदन सहित अंदर मियाद प्रस्तुत करता है :–

।। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण।।

प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील शाजापुर के समक्ष ग्राम भदोनी तहसील व जिला शाजापुर में अपने पिता स्व.श्री डॉ. मांगीलालजी सोनी पिता स्व.श्री जगन्नाथ सोनी निवासी शाजापुर के भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज 19 बीघा कृषि भूमि पर डॉ. मांगीलालजी सोनी द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित किये गये वसीयतनामें दिनांक 5/5/2014 के आधार पर अपना नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कि प्रकरण कमांक 121/–अ–6/2014–15 पर कायम होकर तहसील न्यायालय शाजापुर द्वारा दिनांक 16/06/15 को निरस्त किये जाने से व्यथित होकर अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय शाजापुर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जो प्र.क. 10/अपील/14–15 पर कायम होकर दिनांक 19/7/16 को निरस्त की गयी। उसके पश्चात् अपर आयुक्त महोदय के यहा अपील की जो प्र.क. 234/अपील/16–17 पर अंकित हुई जो दिनांक 29/10/18 को निरस्त कर दी गयी।

169

209

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी/430/2019/शाजापुर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/10/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25/09/2018 से प्रभावशील है, संशोधन पश्चात मंडल को निगरानी में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अतः यह निगरानी अधिकार विहीन होने से अग्राहय की जाती है। आवेदक समक्ष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	